न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4238–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश 30–6–12 पारित द्वारा अपर तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल प्रकरण कमांक 312/अ–12/10–11.

भागीरथ आत्मज राम्मूलाल
निवासी ग्राम मुगालिया छाप
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

1– रमेश कुमार शर्मा आत्मज किशनलाल शर्मा
निवासी ग्राम मुगालिया छाप
तहसील हुजूर जिला भोपाल

2– जागरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा अध्यक्ष
हरी मोहन आत्मज बुद्ध देव गुप्ता
निवासी ग्राम मुगालिया छाप
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
कु. रंजना, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष ग्राम मुगालिया छाप तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की खसरा नम्बर 984/2/1 रकबा 0.809 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 984/2/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 984/2/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 312/अ–12/10–11 दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन

प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक नक्शा सहित रिपोर्ट तहसील न्यायालय को प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–6–12 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की गई । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ प्रकरण में दिनांक 26–7–2017 को आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि अनावेदकगण के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किया गये है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है और न ही प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई विचार किया गया है । यह भी कहा गया कि विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि सीमांकन की कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकारों को नियमानुसार सूचना पत्र की तामीली किया जाना आवश्यक है और सूचना पत्र की तामीली के अभाव में किया गया सीमांकन वैधानिक नहीं माना जा सकता है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि सीमांकन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना पत्र तामीली नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की भूमि आवेदक की भूमि से लगी हुई है, इसलिए आवेदक को सीमांकन क सम्बन्ध में व्यक्तिगत सूचना पत्र की तामीली कराया जाना आवश्यक था, परन्तु राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत सूचना पत्र की तामीली कराये बिना ही सीमांकन की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि पर राजस्व अभिलेख में बटान अंकित नहीं है, और बटान के अभाव में सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही संभावनाओं के आधार पर की गई है, क्योंकि जिन सीमा चिन्हों का उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में किया गया है, वह अस्तित्व में ही नहीं हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आदेश पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह न्यायिक कर्तव्य था कि वह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों की नियमानुसार विवेचना करते हुए सीमांकन के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित करते ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सभी पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र की तामीली उपरान्त, उनकी उपस्थिति में सीमांकन किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु तहसील न्यायालय के अभिलेख से सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना प्रमाणित नहीं है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न पंचनामा पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में किया गया है, जबकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का पड़ोसी कृषक होकर हितबद्ध पक्षकार है । ऐसी स्थिति में उसे सीमांकन की कार्यवाही में सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–12 निरस्त किया जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निराकरण हेतु अपर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर